पत्र संख्या : 7ब/2701 स्था०व्य० ज०सं०–01–05/19 ज०स०...178

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुंख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग/
मुख्य अभियंता (यॉ0),जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 16/12/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 14 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रू 440.06 लाख (चार करोड़ चालीस लाख छः हजार रूपये मात्र) अतिरिक्त राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2701– मध्यम सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701–मध्यम सिंचाई	03– मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	**440.060**

कुल आवंटित राशि – **रुपये चार करोड़ चालीस लाख छः हजार मात्र**

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध राशि ₹ 8416.86 लाख **(चैरासी करोड़ सोलह लाख छियासी हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003 1362 दि० 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग का पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक–29/बी०टी०ई०–18/2014.–15/300 दिनांक–30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा ।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। **अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरूद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यापर्ण कर दिया जाय।राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रुप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुकमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुकमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**
अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुंख्य सचिव

ज्ञापांक :– 178 रॉची, दिनांक :– 16/12/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ – **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी**, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित **राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुंख्य सचिव

ज्ञापांक :– 178 रॉची, दिनांक :– 16/12/19

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल–3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा–7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मख्य सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–2701–मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष–03–मध्यम सिंचाई–वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष–06–छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक 178 दिनांक 16/12/19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001 060101	49S270103001 060110	49S27010300 1060112	49S27010300 1060213	49S27010300 1060315	49S27010300 1060316	49S270103001 060323	49S27010300 1060333	49S270103001 060334	49S270103001 060337	49S27010300 1060442	49S27010300 1060760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.900	0.900	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	1.300	0.050	112.500	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.500	
		अद्यतन आवंटन	109.000	0.000	0.000	0.900	1.000	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	1.550	0.050	113.000	
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.900	0.900	0.000	0.250	0.350	0.000	1.500	1.300	0.000	55.200	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.100	0.300	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.500	0.000	1.200	
		कुल आवंटन	50.000	0.000	0.000	1.000	1.200	0.000	0.400	0.500	0.000	1.500	1.800	0.000	56.400	
3	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	65.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	1.000	0.000	67.350	
		अतिरिक्त आवंटन	54.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	54.000	
		अद्यतन आवंटन	119.000	0.000	0.000	0.200	0.700	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	1.000	0.000	121.350	
4	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पांकी पलामू	पूर्व का आवंटन	187.290	0.000	0.200	0.650	0.600	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.000	0.200	189.240	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	
		अद्यतन आवंटन	187.290	0.000	0.200	0.850	0.600	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.000	0.200	189.440	
5	गुण नियंत्रण प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	60.000	0.000	0.000	0.400	0.600	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.800	0.000	62.050	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.450	0.050	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.200	0.000	15.900	
		अद्यतन आवंटन	75.000	0.000	0.000	0.850	0.650	0.000	0.300	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	77.950	
6	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा	पूर्व का आवंटन	396.000	0.000	0.100	0.650	0.600	0.000	0.000	0.200	0.000	1.250	0.500	0.350	399.650	
		अतिरिक्त आवंटन	42.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.150	0.000	0.200	42.450	
		अद्यतन आवंटन	438.000	0.000	0.100	0.650	0.600	0.000	0.000	0.300	0.000	1.400	0.500	0.550	442.100	
7	जलपथ प्रमंडल, बरही	पूर्व का आवंटन	295.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	295.450	
		अतिरिक्त आवंटन	72.000	0.000	0.000	0.450	0.150	0.000	0.150	0.200	0.000	0.500	0.200	0.250	73.900	
		अद्यतन आवंटन	367.000	0.000	0.000	0.650	0.400	0.000	0.150	0.200	0.000	0.500	0.200	0.250	369.350	
8	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	228.000	0.000	0.000	0.650	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.800	0.350	230.050	
		अतिरिक्त आवंटन	104.500	0.000	0.500	0.450	0.150	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.200	0.150	106.250	
		अद्यतन आवंटन	332.500	0.000	0.500	1.100	0.400	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	1.000	0.500	336.300	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019–2020		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय						विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दरें, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270103001 060101	49S270103001 060110	49S27010300 1060112	49S27010300 1060213	49S27010300 1060315	49S27010300 1060316	49S270103001 060323	49S27010300 1060333	49S270103001 060334	49S270103001 060337	49S27010300 1060442	49S27010300 1060760		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	जलपथ प्रमंडल, रॉंची	पूर्व का आवंटन	543.000	0.000	0.000	0.500	0.600	0.000	0.150	0.200	0.000	0.600	0.000	0.350	545.400	
		अतिरिक्त आवंटन	112.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	112.350	
		अद्यतन आवंटन	655.000	0.000	0.000	0.500	0.700	0.000	0.400	0.200	0.000	0.600	0.000	0.350	657.750	
10	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	290.000	0.000	0.000	0.700	0.600	0.360	0.150	0.200	0.000	1.250	0.800	0.350	294.410	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.310	0.000	0.000	0.150	0.050	0.000	0.150	0.300	0.150	16.110	
		अद्यतन आवंटन	305.000	0.000	0.000	1.010	0.600	0.360	0.300	0.250	0.000	1.400	1.100	0.500	310.520	
11	यांत्रिक प्रमंडल, बनासो हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	200.000	0.000	0.400	0.650	0.600	0.000	0.150	0.000	0.000	0.400	0.800	0.350	203.350	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.100	0.050	0.350	
		अद्यतन आवंटन	200.000	0.000	0.400	0.650	0.650	0.000	0.300	0.000	0.000	0.400	0.900	0.400	203.700	
12	रूपांकण एवं मोनि0 प्र0, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	35.000	0.000	0.400	0.400	0.600	0.000	0.150	0.200	0.000	0.200	0.000	0.100	37.050	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	
		अद्यतन आवंटन	35.000	0.000	0.400	0.500	0.600	0.000	0.300	0.200	0.000	0.200	0.000	0.100	37.300	
13	वित्त पदा0, स्वर्णरेखा परि0, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	59.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	59.450	
		अतिरिक्त आवंटन	0.550	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.100	0.000	0.250	0.000	0.000	1.100	
		अद्यतन आवंटन	59.550	0.000	0.000	0.200	0.450	0.000	0.000	0.100	0.000	0.250	0.000	0.000	60.550	
14	विशेष भू–अर्जन पदा0उत्तर कोयल परि0 मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	173.860	0.000	0.400	0.600	0.600	0.000	0.150	0.150	0.000	0.000	0.550	0.250	176.560	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.000	0.050	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.200	0.100	15.500	
		कुल आवंटन	188.860	0.000	0.400	0.600	0.650	0.000	0.300	0.150	0.000	0.000	0.750	0.350	192.060	
	अतिरिक्त आवंटन का योग		430.050	0.000	0.500	2.060	1.150	0.000	1.650	0.750	0.000	1.050	1.950	0.900	440.060	

नोटः वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से विपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये चार करोड़ चालीस लाख छः हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

178
16/12/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरुण कुमार सिंह) 14-12-19
अपर मुख्य सचिव